

**In the Court of Additional Sessions Judge-II,
Vaishali at Hajipur.**

**Sessions Trial No. 427/2024
Goraul P.S case no. 12/2017**

27-05-2024

सभी (5) अभियुक्त अम्बिका सिंह, केशव कुमार, सुजीत कुमार, अजीत कुमार एवं गीता देवी की ओर से हाजरी दी गयी। बचाव पक्षों की ओर से पूर्व से जमानत पर रहने का आवेदन दिया गया जिसे अभिलेख पर रखा गया।

वाद पुकारा गया। वाद पुकार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 308, 504, 379, 506/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप गठन किया गया तथा हिन्दी में सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण अपने को निर्दोष बताएँ एवं विचारण की माँग किये। **कार्यालय को निर्देश** दिया जाता है कि आरोप पत्र में नामित साक्षियों के विरुद्ध साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें। अभियोजन अपने माध्यम से भी साक्षी को प्रस्तुत करें। **कार्यालय को यह भी निर्देश** दिया जाता है कि आरोप गठित होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, वैशाली को करे तथा आरोप पत्र में नामित साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु इस आदेश फलक की प्रति कार्यालय तत्काल प्रेषित करे दे ताकि निश्चित तिथियों पर उनकी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके। अभियुक्तों की ओर से पूर्व से जमानत पर रहने का आवेदन दिया गया जिसे अभिलेख पर रखा गया।

दिनांक 12.06.2024 साक्ष्य हेतु

ले0

A.D.J-II